

## आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/251/2016/एफ.सी./1663 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.570 है० वन भूमि के बदले 9.140 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया-साईपोलो तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 4.570 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण (चारापत्ती संवर्धन) हेतु ग्राम साईपोलो पट्टी लीलम तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-23 श्रेणी-9(3)ग गौचर के खेत नम्बर 360 रकवा 3.366, 362 रकवा 4.452 तथा खेत नम्बर 363 मध्ये रकवा 1.322 है० कुल 03 खेतों की 9.140 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। चूंकि यह भूमि अभिलेखों में गौचर भूमि अंकित है, जिसमें चारा प्रजाति के वृक्षों का ही रोपण किया जाय।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जून 16, 2021

(आनन्द स्वरूप)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

## कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 1790/सात- 19 /2020-21

दिनांक जून 17, 2021

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
  2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
  3. उप जिलाधिकारी मुनस्यारी।
  4. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
  5. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० डीडीहाट, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सप्तपद कापिके। लो०नि०वि० डीडीहाट
2. जमीन लो०नि०वि० डीडीहाट

(आनन्द स्वरूप)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।  
दिनांक 17/6/2021